

2025/879
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोव जिला - सीकर

अंका देवी अग्रवाल बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण
 किरम मुकदमा 136 CR मु.नं. 417 वर्ष 2025

0.2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/10/25	<p>प्रार्थीया चंदा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल जाति महाजन निवासी गाडोदियाज बॉयोस्कॉप सिनेमा के सामने, तिलक नगर, राणी सती रोड, सीकर तहसील व जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 5, 14, 16, 455, 466, 695, 707 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि चंदा देवी पत्नी ओमप्रकाश दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्टि चंदा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल है। प्रार्थीया के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि चंदा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टियां चंदा देवी पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर चंदा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/67 दिनांक 27.09.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 5, 14, 16, 455, 466, 695, 707 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि चंदा देवी पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर चंदा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/67 दिनांक 27.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाव तकमिल दाखिल दफतर हों।</p>



उपखण्ड अधिकारी,
 धोव जिला सीकर

